तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर जो ताकी[illegible]
	धापी [illegible] / लक्ष्मी नारायण G(M)S-2021/301	

9/12 पत्रावली पेश [illegible] उपस्थित।
P.O साहब [illegible] अवकाश हैं।
प[illegible] 7/2/25
[illegible]

7/2 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 8/4/25 को पेश हो।

8/4/25
[illegible] उपस्थित।
पत्रावली पेश [illegible] अवकाश हैं।
P.O साहब [illegible]
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 7/5/25
को पेश हो।

07/05/25
पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। वकील प्रार्थीगण ने संशोधित शीर्षक पेश किया गया जो शामिल किया गया। प्रकरण में बहस वकुलाय उभयपक्ष सुनी गयी। वास्ते आदेश मिसल दिनांक 19.05.2025 को पेश हो।

19/05/25
वास्ते आदेश मिसल आज पेश हुई। वकुलाय उप0। प्रकरण में बहस वकुलाय उभयपक्ष पूर्व में सुनी जा चुकी हैं। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि का तहसीलदार के आदेशानुसार सीमाज्ञान दिनांक 17.06.2021 को करवा लिया हैं। अब प्रार्थीगण अपनी भूमि की चिन्हित सीमाओं के अनुसार पत्थरगढी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी मुताबिक अनुतोष स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। वकील अप्रार्थीगण [illegible] में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया [illegible] वादग्रस्त आराजी के संबंध में एक [illegible] व स्थगन न्यायालय हाजा में विचाराधीन है अतः [illegible] हर्जे के साथ खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया।

Signature Not V[illegible]
Digitally signed by
Yadav
Date: 2025.07.11 1[illegible]
Reason: SelfAtteste[illegible]

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं सीमाज्ञान दिनांकित 17.06.2021 का

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

अवलोकन किया गया एवं वकुलाय उभयपक्ष की बहस पर सगौर मनन किया गया। चूंकि प्रार्थीगण सीमाज्ञान दिनांकित 17.06.2021 के मुताबिक अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर पत्रावली में आदेश इस आशय का जारी किया जाता हैं कि :—

आदेश

तहसीलदार नीमकाथाना तन ग्राम ज्योतिबा नगर पटवार हल्का चला तहसील नीमकाथाना अवस्थित ख.नं. 84 ता 88 कुल किता 5 कुल रकबा 6.66 है0 में प्रार्थीगण, समस्त खातेदारान तथा पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर यदि किसी दीगर न्यायालय का स्थगनादेश ना हो तो बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान मुताबिक सीमाज्ञान दिनांकित 17.06.2021 पत्थरगढी की जावे तथा कृषि भूमि का एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 128, 111 मे वर्णित प्रक्रिया का पालन करते हुए पत्थरगढ़ी करवाकर विवाद का निस्तारण करे। दौराने पत्थरगढ़ी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावें। तहसीलदार नीमकाथाना को निर्णय की पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 19.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Sin
Yadav
Date: 2025.07.11 13:14:26 IST
Reason: SelfAttested